ायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

ा0न0 – 49/2024

ानवान : –

सतीश कुमार पुत्र बलवानसिंह जाति जाट निवारी मोडाखेड़ा त0 हिसार ।

वादी

बनाम

1. मोमनराम पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी मोडाखेड़ा त0 हिसार।
2. बलवानसिंह पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी मोडाखेड़ा त0 हिसार।
3. राजकुमार पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी मोडाखेड़ा त0 हिसार।
4. सुनिता देवी पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी मोड़ाखेड़ा त0 हिसार।
5. रजनीबाला पुत्री बलवानसिंह जाति जाट निवासी मोडाखेडा त0हिसार।
6. विनयकुमार पुत्र राजकुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मन्जुबाला पत्नी राजकुमार निवासी मोडाखेड़ा त0 हिसार।
7. भूमिन पुत्र राजकुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मन्जुबाला पत्नी राजकुमार निवासी मोडाखेड़ा त0 हिसार।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :– श्री जयकिशन गोदारा वादी
श्री नरेन्द्र शर्मा प्रतिवादी

<u>निर्णय</u> दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 एएमएस के खाता सं0 ा1/97 के मु0न0 19 के किला न0 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 12/2, 18, ा4, 25/1, 25/2 मु0न0 20 के क़िला न0 11, 20/2 की कुल 1.5680है0 प्रतिवादी सं0 1 ोमनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि ादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी ापने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल ारने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। ाह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया ाया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी ... ने आपसी सहमती से ाजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 8 की ओर से ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.03 14:36:43 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवे... ाकिया कि वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रति...गण के साथ–साथ वादी ाजन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 3 एएमएस के खाता सं0 91/97 के मु0न0 19 के किला न0 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 12/2, 18, 24, 25/1, 25/2 मु0न0 20 के किला न0 11, 20/2 की कुल 1.5680है0 प्रतिवादी सं0 1 मोमनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों में जमाबंदी पैतृक से उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना अंकित है। उपरोक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 6-7 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। वाद भूमि के अलावा प्रतिवादीगण के नाम जमाबंदी मोडाखेड़ा के हदबस्त न0 31 खेवट सं0 276-277 में अन्य भूमि स्थित है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 3 एएमएस के खाता सं0 91/97 के मु0न0 19 के किला न0 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 12/2, 18, 24, 25/1, 25/2 मु0न0 20 के किला न0 11, 20/2 की कुल 1.5680है0 प्रतिवादी सं0 1 मोमनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 01 मोमनराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सतीश कुमार 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 6 विनयकुमार एवं प्रतिवादी सं0 7 भूमिन संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 खाला-रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.03 14:36:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 – 49/2024

अनवान : –

सतीश कुमार पुत्र बलवानसिंह जाति जाट निवासी मोडाखेड़ा त0 हिसार ।

वादी

बनाम

1. मोमनराम पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी मोडाखेड़ा त0 हिसार।
2. बलवानसिंह पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी मोडाखेड़ा त0 हिसार।
3. राजकुमार पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी मोडाखेड़ा त0 हिसार।
4. सुनिता देवी पुत्री मोमनराम जाति जाट निवासी मोड़ाखेड़ा त0 हिसार।
5. रजनीबाला पुत्री बलवानसिंह जाति जाट निवासी मोडाखेडा त0हिसार।
6. विनयकुमार पुत्र राजकुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मन्जुबाला पत्नी राजकुमार निवासी मोडाखेड़ा त0 हिसार।
7. भूमिन पुत्र राजकुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मन्जुबाला पत्नी राजकुमार निवासी मोडाखेड़ा त0 हिसार।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी.चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री जयकिशन गौदारा व वकील प्रतिवादीगण श्री नरेन्द्र शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 एएमएस के खाता सं0 91/97 के मु0न0 19 के किला न0 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 12/2, 18, 24, 25/1, 25/2 मु0न0 20 के किला न0 11, 20/2 की कुल 1.5680है0 प्रतिवादी सं0 1 मोमनराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 01 मोमनराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सतीश कुमार 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 6 विनयकुमार एवं प्रतिवादी सं0 7 भूमिन संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 खाला–रास्ता एवं किस्म को यथावत् रखा जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.09.03 14:36:43 IST
Reason: SelfAttested

27-08-24

(ओ.पी.चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner